Ref: BFIL/SEC/2023-24/84 **Date: August 23, 2023**

To,

Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001 (Maharashtra)
Scrip Code: 543653

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051 (Maharashtra)
Trading Symbol: BIKAJI

Sub: **Copy of the newspaper advertisement for notice of the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company pursuant to the Order of the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench**

Ref: **Scheme of Amalgamation of Hanuman Agrofood Private Limited ("Transferor Company") with Bikaji Foods International Limited ("Transferee Company" or "Company") and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder ("Scheme of Amalgamation")**

Dear Sir / Madam,

In the matter of the Scheme of Amalgamation, the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench **("NCLT")** vide Order dated July 31, 2023, together with Speaking-to-Minutes dated August 08, 2023 in Company Application No. 02/230-232/JPR/2023 **("Order of NCLT")**, has directed separate meetings be held of the Equity Shareholders and the Unsecured Creditors of the Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the Scheme of Amalgamation.

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")** and applicable provisions of the Act, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement published today i.e., August 23, 2023 in Financial Express (English Language) and Nafa Nuksan (Hindi Language) regarding notice of the following meetings of the Company:

Particulars	**Equity Shareholders**	**Unsecured Creditors**
Day and Date	Monday, September 25, 2023	Monday, September 25, 2023
Time	11:00 A.M.	02:00 P.M.

scheduled to be held through video conferencing or other audio-visual means **("VC/ OAVM")**, pursuant to Order of the NCLT for the purpose of considering, and if thought fit, approving, Scheme of Amalgamation of Transferor Company with the Company and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Act.

In compliance with the Listing Regulations, the above information will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.bikaji.com.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you

Yours faithfully,
For Bikaji Foods International Limited

RAHUL JOSHI Digitally signed by RAHUL JOSHI Date: 2023.08.23 11:58:52 +05'30'

Rahul Joshi
Head - Legal and Company Secretary
Membership No.: ACS 33135

Enclosure: As Above

Classifieds

PERSONAL

I,Sachin Kumar,s/o Shishupal Singh,R/o Jhamka, Bulandshahr-203131,Uttar Pradesh,have changed my name to Sachin Singh,for all, future purposes. 0040684704-8

I,Nancy W/o Roopender Kumar,R/o H.No.818,Gali No.05, Sai Nagar,Meethapur Extension,BTPS,Delhi-110044, have changed my name to Nancy Chhillar. 0040684737-9

I,Munna Lal Singh,s/o Ram Pal Singh,R/o E-575/A,Street No-10,Shanti-Marg,West Vinod-Nagar,Delhi-110092,have changed my name to Munna Lal,permanently. 0040684709-10

I,Mohammad Nadir Saleem,s/o Saleem Uddin,R/o B-156,Iram-Appartment,Abul Fazal-11, Zamia-Nagar,Okhla,New-Delhi -110025,have changed my name to Nadir Saleem,permanently. 0040684709-8

I,Kusum Singh,w/o Munna Lal,R/o E-575/A, Street.No-10, Shanti Marg,West-Vinod Nagar,Delhi-110092,have changed my name to Kusum, permanently. 0040684709-9

I,Krishan Lal,s/o-Ratan Mani Lakhwar,R/o S-312,Flat.No-201, 2nd-Floor, School-Block, Shakarpur,Delhi-110092,have changed my name to Krishan Lekhwar,ipermanently. 0040684709-7

I,Ankit Kumar,s/o Ashok Kumar,R/o.A-139, Shiv-Vihar, Vikas-Nagar,Uttam Nagar, Delhi-110059,have changed my name to Ankit Bhardwaj, permanently. 0040684745-9

I, Sunita w/o Amir chand Satija r/o C-2, Indrapuri, ward no.9, Jacobpura, Gurgaon, Haryana -122001 have changed my name to Sunita Satija permanently. 0040684664-1

I, Nitika w/o Yogesh Gangwal r/o A-1/196B, Paschim Vihar, Delhi-110063 have changed my name to Nitika Gangwal permanently. 0040684664-3

I, Geeta Devi w/o Dwarka prasad Gangwal r/o A-1/196B, Paschim Vihar, Delhi-110063 have changed my name to Geeta Devi Gangwal permanently. 0040684664-5

I Tejesvi Yadav S/o Ajay Yadav R/o D-138-II, Yamunapuram, Distt.-Bulandshahr (UP)-203001, have changed my name to Tejasvi Yadav for all purposes. 0070860186-1

I PRITI KOKCHA D/O VIVEK SHEEL KOKCHA R/O B-11/201, GALI NO.11, CHHAT POOJA GHAT, KAILASH VIHAR PANSALI, PEHLAD PUR BANGAR, DELHI- 110042, HAVE CHANGED MY NAME TO PREETI KOKCHA. 0040684619-1

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client **Madan Kumar** S/o Veerpal R/o WZ-38C/1, Mansarover Garden, Ramesh Nagar, New Delhi-110015 has severed all his relation and debarred his son **Rohit Kumar** S/o Madan Kumar and his wife **Ritika Dewan** W/o Rohit Kumar from all his movable and immovable properties due to their misbehavior and illegal activities. Anybody dealing with them will do so at his/her/their own risk. My client will not be responsible for their any kind of liabilities, dealings acts, criminal proceedings, obligations, financial transactions, claims etc.

Manvendra K. Tripathi (Advocate) Ch.No.315, M.C. Setalvad Lawyers Chambers, Supreme Court, Delhi.

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD.

Registered Office: F 196-199, F 178, E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India - 334006
Corporate Office: Plot No. E-558-561, C-569-572, E-573-577, F-585-592, Karni Extension, RIICO Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India - 334004
CIN: L15499RJ1995PLC010856
Email: cs@bikaji.com | **Website:** www.bikaji.com | **Phone:** 91-151-2250350

FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) of the Companies Act, 2013 read with rules 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, JAIPUR BENCH
COMPANY APPLICATION CA (CAA) NO. 02/230-232/JPR/2023

In the matter of the Companies Act, 2013;
AND
In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013;
AND
In the matter of Scheme of Amalgamation of Hanuman Agrofood Private Limited with Bikaji Foods International Limited and their respective shareholders and creditors.

Hanuman Agrofood Private Limited
[CIN U15310RJ2012PTC039805], a company registered under provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at F-196-197, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006, in the state of Rajasthan, India. ..... Applicant 1 / Transferor Company

Bikaji Foods International Limited
[CIN: L15499RJ1995PLC010856], a company registered under provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at F 196-199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006, in the state of Rajasthan, India .... Applicant 2 / Transferee Company

PUBLICATION OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF THE BIKAJI FOODS INTENATIONAL LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated **July 31, 2023,** together with Speaking-to-Minutes dated August 8, 2023, in the Company Application No. **02/230-232/JPR/2023,** the Hon'ble National Company Law Tribunal, Jaipur Bench **("Tribunal"** or **"NCLT")** has directed inter-alia, to convene separate meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Bikaji Foods International Limited **("BIKAJI" or "Transferee Company"** or **"Company"),** to be held, for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the Scheme of Amalgamation of Hanuman Agrofood Private Limited **("HAPL"** or **"Transferor Company")** with BIKAJI and their respective shareholders and creditors **("Scheme of Amalgamation")**, pursuant to the provisions of Sections 230-232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 **("Act")** and applicable rules and regulations made thereunder.

In pursuance of the said order, and as directed therein, further notice is hereby given that separate meetings of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company will be held through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means mode **("VC/OAVM")**, without physical presence of the members or creditors respectively at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Act read with the rules prescribed thereunder, and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")**, as amended from time to time, and following inter-alia the operating procedures (with requisite modification(s) as may be required) as per General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with the General Circular Nos. 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated 15 June, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 and No. 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as **"MCA Circulars"**) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with the Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and other relevant circulars in this regard issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as **"SEBI Circulars"**), as per the schedule mentioned below, at which day and time the said Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company are requested to attend:

Sr. No.	Class of Meeting	Date of Meeting	Time of Meeting (IST)	Mode of Meeting
1	Equity Shareholders	Monday, September 25, 2023	11:00 A.M.	Through VC/OAVM
2	Unsecured Creditors	Monday, September 25, 2023	02:00 P.M.	

In compliance with the said order and provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act and rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations, and Secretarial Standard – 2 on General Meeting **("SS-2")** issued by the Institute of Company Secretaries of India **("ICSI")**, the Company has provided the facility of voting by remote electronic voting **("Remote e-voting")** and electronic voting during the aforesaid meetings **("e-voting")** and for the same, Company has appointed the Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** as the authorised agency, for facilitating the voting through electronic means, and also, the participation in the meetings through VC/OAVM. The facility is offered, so as to enable the Equity Shareholders and Unsecured Creditors to cast their votes on the resolution, proposed to be passed at their respective meetings. The detailed instructions for joining the meetings through VC/OAVM along with the manner of casting vote through remote e-voting prior to the meetings or through e-voting during the meetings, are given in the notes to the Notice of the respective meetings.

In compliance with the said order and relevant circulars, the Notice of the aforesaid meetings, together with the documents accompanying the same, has been sent as mentioned below:

1. to the Equity Shareholders on **Tuesday, August 22, 2023,** whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, July 28, 2023:**
   a. through electronic mode (i.e., by way of e-mail) to the Equity Shareholders, whose e-mail IDs are registered with the CDSL/ Depositories; and
   b. through registered post or speed post or courier to the Equity Shareholders, whose e-mail IDs are not registered with the Depositories.
2. to the Unsecured Creditors on **Tuesday, August 22, 2023,** whose debt value is ₹ 2,50,000/- (Rupees Two Lakhs Fifty Thousand Only) or more in the books of accounts of the Transferee Company as on **Friday, June 30, 2023:**
   a. through electronic mode (i.e., by way of e-mail) to the unsecured creditors, whose e-mail IDs are registered with the Company; and
   b. through registered post or speed post or courier to the unsecured creditors, whose e-mail IDs are not registered with the Company.

Notices of the meetings, copy of the Scheme of Amalgamation along with the explanatory statement and necessary annexures thereof under Sections 230 and 232 read with the Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 can also be accessed/ downloaded from the website of the Company at **https://www.bikaji.com** and from the website of M/s Link Intime India Private Limited **("Company's Registrar and Share Transfer Agents" or "RTA" or "LIIPL")** at **https://www.linkintime.co.in** and the e-voting website of the CDSL at **www.evotingindia.com** and from the relevant section of the websites of the recognized Stock Exchanges, on which the shares of the Company are listed i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com,** respectively. The above referred documents can also be obtained free of charge, by Equity Shareholders and Unsecured Creditors who are eligible to vote in the corresponding meetings, between **11:00 A.M. IST** to **01:00 P.M. IST** on any day (except Saturday, Sunday and public holidays) upto the date of the respective meetings, from the Registered Office of the Company or by writing an e-mail to the Transferee Company at **cs@bikaji.com,** upto the date of the respective meetings.

The cut-off date for e-voting (including Remote e-voting) and time period for the remote e-voting of the aforesaid meetings is as under:

Particulars	Equity Shareholders Meeting	Unsecured Creditors Meeting
Cut-off date for e-voting	Monday, September 18, 2023	Friday, June 30, 2023
E-voting start date and time	Friday, September 22, 2023 at 10:00 A.M. IST	Friday, September 22, 2023 at 10:00 A.M. IST
E-voting end date and time	Sunday, September 24, 2023 at 05:00 P.M. IST	Sunday, September 24, 2023 at 05:00 P.M. IST

The votes should be cast in the manner described in the instructions, as provided in the notes to the Notice of the respective meetings. The facility for casting vote through remote e-voting shall be disabled by the CDSL after the above-mentioned date and time, for the meetings.

An Equity Shareholder, whose name is recorded in the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Monday, September 18, 2023,** being the cut-off date for voting eligibility of Equity Shareholders, shall only be entitled to avail the facility of e-voting and attend the meeting of the Equity Shareholders. The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their holding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

Unsecured Creditors, whose names are recorded in the records of the Company as on **Friday, June 30, 2023,** being the cut-off date for voting eligibility of Unsecured Creditors, shall only be entitled to avail facility of e-voting and attend the meeting of the Unsecured Creditors respectively. The voting rights of the unsecured creditors shall be in proportion to value of debts recorded in the books of the Company as on the cut-off date.

Any person who is not an equity shareholder or an unsecured creditor of the Transferee Company, as the case may be, on the corresponding cut-off date for voting eligibility, should treat the Notice for information purpose only.

The Equity Shareholders and Unsecured Creditors, who have already cast their vote through Remote e-voting prior to the respective meetings, shall be eligible to attend the meetings through VC/ OAVM facility, however, they shall not be entitled to cast their vote again through e-voting during the meetings.

Any person who has become equity shareholder / member of the Company after dispatch of the Notice, but on or before the cut-off date for e-voting, i.e. **Monday, September 18, 2023,** or has registered the e-mail address after dispatch of the related Notice, may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of meetings.

Unsecured Creditors of the Transferee Company not in receipt of the relevant Notice, including those having individual debt value of less than ₹ 2,50,000/- (Rupees Two Lakhs Fifty Thousand Only), shall be entitled to attend and vote at the meeting of Unsecured Creditors by following instructions as given in the Notice.

Since, the meetings will be held through VC/ OAVM, the facility for appointment of proxies will not be available for the meetings. However, Institutional/ Corporate Shareholders and Creditors etc., are encouraged to attend the meetings through VC/ OAVM and such Institutional/ Corporate Shareholders and Creditors etc., are entitled to appoint their Authorized Representatives for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the meeting through VC/ OAVM facility and e-voting during the Meeting.

The Hon'ble NCLT has appointed **Mr. Raghu Nayyar,** Advocate and **Mr. Sandeep Taneja,** Advocate, to act as the Chairperson and Alternate Chairperson, respectively of the respective separate meetings, including any adjournment(s) thereof. The Scheme of Amalgamation, if approved by the Equity Shareholders and Unsecured Creditors at the meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble NCLT, Jaipur Bench and any other approval(s), permission(s) and sanction(s) from any other regulatory and statutory authority(s), as may be required.

Further, the Hon'ble NCLT has appointed **Mr. Kartavya Shukla,** Practicing Chartered Accountant, as the Scrutinizer for the respective meetings, including any adjournment(s) thereof, to scrutinize the votes cast through electronic means prior to the meetings as well as during the meetings, in a fair and transparent manner.

The voting results of the particular meeting(s) shall be announced by the Chairperson of the said meeting(s), or person duly authorized by him, within 2 (Two) working days of the conclusion of the meeting(s), upon receipt of the Scrutinizer's report. The said results along with the Scrutinizer's report shall be displayed on the website of the Company at **www.bikaji.com** and on the website of the CDSL at **www.evotingindia.com,** being the agency appointed by the Company to provide the voting facility to the equity shareholders and unsecured creditors as well as on the notice board of the Company at its Registered Office, besides being intimated to the recognized Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.

In case of any query(ies) and/or grievance(s) in respect of e-voting by electronic means, Equity Shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the downloads section of the e-voting website of the CDSL at **www.evotingindia.com.** Equity Shareholders and Unsecured Creditors who have any queries and/or grievances in respect of voting by electronic means or who need assistance before or during the meeting with use of technology, can

a. Send a request at the designated e-mail address: **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call at **toll free no. 1800 22 55 33**; or
b. Contact **Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL),** Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013; and
c. Equity Shareholders may also write an e-mail to **Mr. Rahul Joshi, Head – Legal and Company Secretary** of the Company at the e-mail address: **cs@bikaji.com.**

Equity Shareholders and Unsecured Creditors are requested to carefully read the Notice of the respective meetings and in particular, the instructions for joining the(ir) particular Meeting and manner of casting vote through Remote e-voting or e-voting at the meeting(s).

For BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

Date: August 22, 2023
Place: Bikaner

Rahul Joshi
Head – Legal and Company Secretary
Membership No.: ACS 33135

{ ऑटोमोबाइल }

भारत एनसीएपी से देश में व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने में मिलेगी मदद

नयी दिल्ली/एजेंसी। व्हीकल उद्योग ने देश के पहले व्हीकल टक्कर परीक्षण कार्यक्रम भारत एनसीएपी की सराहना की। उद्योग ने कहा कि इससे देश में व्हीकल सुरक्षा स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रेटिंग प्रणाली से ग्राहकों को खरीदारी के वक्त सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि वह पहले चरण में इस कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए कम से कम तीन मॉडल पेश करेगी। दूसरी ओर हुंदै मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रेनो जैसी बाकी कंपनियों ने भी कार्यक्रम का पूरा समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एनसीएपी (नयी कार मूल्याकंन कार्यक्रम) पेश किया। इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर व्हीकल्स के सड़क सुरक्षा स्टैंडर्ड्स में सुधार करना है। मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी अधिकारी (कॉरपोरेट मामले) राहुल भारती ने एक बयान में कहा, भारत में पेश होने वाली सभी कारें सरकार के अनिवार्य सुरक्षा स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं और इसलिए सुरक्षित है। अतिरिक्त सुरक्षा चाहने वाले उपभोक्ताओं या अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की पेशकश करने वाले विनिर्माताओं के लिए भारत एनसीएपी (बीएनसीएपी) प्रणाली एक प्रामाणिक रेटिंग प्रणाली है। इसकी मदद से ग्राहक बेहतर जानकारी के साथ उपलब्ध विकल्पों में चुनाव कर सकेंगे।

उन्होंने कहा, मारुति सुजुकी सरकार की इस पहल का स्वागत करती है और पहले चरण में बीएनसीएपी परीक्षण के लिए कम से कम तीन मॉडल पेश करेगी। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनसू किम ने बीएनसीएपी सुरक्षा पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा स्टैंडर्ड्स में बढ़ोतरी होगी और यह भारतीय सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाएगा। उन्होंने कंपनी की संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला में उच्चतम सुरक्षा मानक मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (ऑटोमोटिव क्षेत्र) विजय नाकरा ने कहा, सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हमारे उत्पादों को लगातार 5-स्टार और 4-स्टार ग्लोबल एनसीएपी (जीएनसीएपी) रेटिंग मिली है। भारत एनसीएपी सरकार की सराहनीय पहल है, और हमारा मानना है कि यह भारत में व्हीकल सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स को और ऊपर उठाएगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि बीएनसीएपी पहल ग्राहकों के लिए मददगार साबित होगी।

होंडा सितंबर से सिटी, अमेज की कीमतें बढ़ाएगी

नयी दिल्ली/एजेंसी। होंडा कार्स इंडिया अगले महीने से अपने व्हीकल्स की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए उसने यह फैसला किया। कार विनिर्माता इस समय घरेलू बाजार में दो मॉडल - सिटी और अमेज बेचती है। होंडा कार्स इंडिया के उपाध्यक्ष (सेल्स और विपणन) कुणाल बहल ने कहा, हम जितना संभव हो सके, उतना लागत दबाव को वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए हम सितंबर से सिटी और अमेज की कीमतों को संशोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी फिलहाल यह फैसला कर रही है कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाए।

महिंद्रा को चाकन संयंत्र से 2029 तक सालाना दो लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन की उम्मीद

केपटाउन/एजेंसी। महिंद्रा एंड महिंद्रा को महाराष्ट्र के चाकन में बनने वाले अपने कारखाने में 2027 से 2029 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) उत्पादन सालाना दो लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के अध्यक्ष (वाहन क्षेत्र) विजय नाकरा ने यह जानकारी दी। कंपनी को उम्मीद है कि 2030 तक कुल व्हीकल सेल्स में ईवी की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत हो जाएगी। व्हीकल कंपनी को इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र सरकार से पुणे के पास चाकन में 10,000 करोड़ रुपये के ईवी संयंत्र को स्थापित करने की मंजूरी मिली है। कंपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने और अपनी आगामी 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' (बीई) मॉडल के विकास और उत्पादन के लिए अपनी अनुषंगी के माध्यम से सात-आठ साल में यह निवेश करेगी। नाकरा ने कहा, हम चाकन संयंत्र में 2027 से 2029 तक उत्पादन दो लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीई श्रृंखला के अंतर्गत पहला उत्पाद अगले साल के अंत तक बाजार में आ सकता है और चाकन संयंत्र में उत्पादन उससे चार-पांच महीना पहले शुरू हो सकता है। एमएंडएम यात्री व्हीकल खंड में एकमात्र इलेक्ट्रिक मॉडल- एक्सयूवी400 बेचती है, जिसका उत्पादन महाराष्ट्र के नासिक स्थित संयंत्र में होता है। कंपनी हालांकि घरेलू इलेक्ट्रिक तिपहिया व्हीकल खंड में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है।

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजिकृत कार्यालय : एफ 196-199, एफ 178, ई 188, बीछवाल इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, राजस्थान, भारत-334006
कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. ई-558-561, सी-569-572, ई-573-577, एफ-585-592 करनी एक्सटेंशन, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, राजस्थान, भारत-334004
वेबसाइट : www.bikaji.com **ईमेल :** cs@bikaji.com **टेलीफोन :** 0151-2250350 **फैक्स :** 0151-2251814/1964
सीआईएन : एल15499आरजे1995पीएलसी010856

फॉर्म संख्या सीएए . 2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 (3) के साथ कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम 2016 के नियम 6 एवं 7 की अनुपालना में)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच के समक्ष
कंपनी आवेदन सीए (सीएए) संख्या. 02/230-232/जेपीआर/2023

कंपनी अधिनियम 2013 के मामले में ;
एवं
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
एवं
हनुमान एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड के बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में समामेलन की योजना एवं उनके संबंधित शेयरधारकों व लेनदारों के मामले में

हनुमान एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन : यू15310आरजे2012पीटीसी039805), कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत पंजिकृत एक कंपनी जिसका पंजिकृत कार्यालय एफ-196-197, बिछवाल इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 334006, राजस्थान, भारत में स्थित है **... आवेदनकर्ता 1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी**

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड
(सीआईएन : एल15499आरजे1995पीएलसी010856), कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजिकृत एक कंपनी जिसका पंजिकृत कार्यालय एफ 196-199, एफ 178 एवं ई188, बिछवाल इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 334006, राजस्थान, भारत में स्थित है **... आवेदनकर्ता 2/हस्तांतरिती कंपनी**

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक के नोटिस का प्रकाशन

नोटिस दिया जाता है कि 31 जुलाई, 2023 को जारी आदेश के साथ ही 8 अगस्त, 2023 के स्पीकिंग-टू-मिनिट्स के जरिए कंपनी आवेदन संख्या 02/230-232/जेपीआर/2023 के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 230-232 के प्रावधानों, अन्य लागू प्रावधानों एवं लागू नियमों एवं विनियमनों के प्रावधानों की अनुपालना में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर बेंच ('अधिकरण' या 'एनसीएलटी') ने बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड ('बीकाजी' या 'हस्तांतरिती कंपनी') के साथ हनुमान एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड ('एचएपीएल' या 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी') एवं इनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के समामेलन की योजना ('समामेलन की योजना') के बारे में विचार करने व यदि उचित हो तो उसे बदलावों या बगैर बदलावों के मंजूरी देने के लिए बीकाजी के इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठके आयोजित करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश की पालना में जैसा निर्देशित किया गया है एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठके वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') द्वारा एक समान स्थान पर सदस्यों या लेनदारों की भौतिक मौजूदगी के बगैर आयोजित की जायेगी जो अधिनियम के प्रावधानों व संबंधित नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और खुलासा आवश्यकताएं) नियम, 2015 (''सूचीबद्धतता नियम'') के नियमों एवं कंपनी मामलात मंत्रालय द्वारा जारी आम परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रेल 2020 एवं 17/2020 दिनांक 13 अप्रेल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 एवं परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (''सेबी परिपत्र'') एवं इस संबंध में सेबी द्वारा जारी अन्य परिपत्रों के अनुपालन में है। इस संबंध में नीचे दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों व असुरक्षित लेनदारों से निवेदन है कि वे बैठकों में शामिल हो:

क्रमांक संख्या	बैठक का खंड	बैठक की दिनांक	बैठक का समय	बैठक का जरिया
1.	इक्विटी शेयरधारकों	सोमवार 25, सितम्बर 2023	सुबह 11 बजे	वीसी/ओएवीएम के जरिए
2.	असुरक्षित लेनदारों	सोमवार 25 सितम्बर, 2023	दोपहर 2 बजे	

उक्त आदेश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों एवं नियमों के साथ पठित सूचीबद्धतता विनियमनों के नियम 44 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('आईसीएसआई') द्वारा आम बैठकों पर जारी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड-2 ('एसएस-2') की अनुपालना में कंपनी उक्त बैठकों के लिए रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के जरिए वोटिंग एवं इलेक्ट्रोनिक (ई-वोटिंग) की सुविधा दे रही है व इसके लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को इलेक्ट्रोनिक रूप से वोटिंग एवं वीसी/ओएवीएम के जरिए बैठकों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। अपनी संबंधित बैठकों में मंजूर किये जाने वाले प्रस्तावों पर इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों द्वारा अपने वोट डालने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठकों में वीसी/ओएवीएम के जरिए जुड़ने एवं बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने या बैठक के दौरान ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित बैठकों के नोटिस के नोट्स में दिए गए हैं।

उक्त आदेश एवं संबंधित परिपत्रों की अनुपालना में उक्त बैठकों का नोटिस दस्तावेजों के साथ निम्न जानकारी के अनुसार भेजे जा चुके हैं:

1. **शुक्रवार 28 जुलाई, 2023** को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी द्वारा रखी गई लाभार्थियों की सूची में नाम रखने वाले इक्विटी शेयरधारकों को **मंगलवार 22 अगस्त, 2023** को:
   अ. उन इक्विटी शेयर धारकों को इलेक्ट्रोनिक रूप से (ई-मेल के जरिए) जिनके ई-मेल पते सीडीएसल/डिपॉजिटरीज के यहां पंजिकृत है।
   ब. उन इक्विटी शेयर धारकों को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कूरियर के जरिए जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरीज के यहां पंजिकृत नहीं है।
2. **शुक्रवार 30 जून, 2023** को हस्तांतरिती कंपनी के खातों में 2,50,000 रुपये (दो लाख पच्चास हजार रुपये) या इससे अधिक के उधार वाले असुरक्षित लेनदारों को **मंगलवार 22 अगस्त, 2023** को :
   अ. उन असुरक्षित लेनदारों को इलेक्ट्रोनिक रूप से (ई-मेल के जरिए) जिनके ई-मेल पते कंपनी के यहां पंजिकृत है।
   ब. उन असुरक्षित लेनदारों को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कूरियर के जरिए जिनके ई-मेल पते कंपनी के यहां पंजिकृत नहीं है।

अधिनियम की धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102, अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम 2016 के नियम 6 के अन्तर्गत बैठकों के नोटिस, समामेलन की योजना की कॉपी एवं व्याख्यात्मक विवरण व आवश्यक संलग्नकों को कंपनी की वेबसाइट www.bikaji.com, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट या आरटीए या एलआईआईपीएल) की वेबसाइट www.linkintime.co.in, सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां कपंनी के शेयर सूचीबद्ध है, की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त सभी दस्तावेज बगैर किसी शुल्क के ऐसे इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों द्वारा निर्धारित बैठकों की दिनांक तक किसी भी दिन (शनिवार, रविवार व सार्वजनिक अवकाशों के अलावा) प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कंपनी के पंजिकृत कार्यालय से या हस्तांतरिती कंपनी को cs@bikaji.com पर मेल भेज कर प्राप्त किये जा सकते हैं जो उक्त बैठकों में वोट डालने के लिए योग्य हैं।

उक्त बैठकों में ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग समेत) की कट ऑफ दिनांक एवं रिमोट ई-वोटिंग की समयावधि निम्न है:

विवरण	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	असुरक्षित लेनदारों की बैठक
ई-वोटिंग की कट-ऑफ दिनांक	सोमवार 18 सितंबर, 2023	शुक्रवार 30 जून, 2023
ई-वोटिंग प्रारंभ होने की दिनांक व समय	शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 को प्रात: 10:00 बजे (आईएसटी)	शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 को प्रात: 10:00 बजे (आईएसटी)
ई-वोटिंग समाप्त होने की दिनांक व समय	रविवार 24 सितंबर, 2023 को सांय 5:00 बजे (आईएसटी)	रविवार 24 सितंबर, 2023 को सांय 5:00 बजे (आईएसटी)

इन बैठकों में वोट संबंधित बैठकों के नोटिस के नोट्स में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही डाले जाने चाहिए। उक्त बैठकों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने की सुविधा को उक्त समयावधियों के बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

कोई इक्विटी शेयरधारक जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थियों की सूची, जो डिपॉजिटरी द्वारा रखी जाती है, में इक्विटी शेयरधारकों की वोटिंग हेतु पात्रता तय करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ दिनांक सोमवार 18 सितंबर, 2023 को दर्ज है केवल वे ही इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में शामिल होने व ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे।

असुरक्षित लेनदार जिनके नाम कंपनी के खातों में असुरक्षित लेनदारों की वोटिंग हेतु पात्रता तय करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ दिनांक शुक्रवार 30 जून, 2023 को दर्ज है केवल वे ही असुरक्षित लेनदारों की बैठक में शामिल होने व ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो वोटिंग पात्रता तय करने के लिए निर्धारित उक्त कट-ऑफ दिनांक को हस्तांतरिती कंपनी का इक्विटी शेयर धारक या असुरक्षित लेनदार नहीं है वह इस नोटिस में दी गई जानकारी को केवल सूचना मात्र के तौर पर ही समझे। जिन इक्विटी शेयरधारकों व असुरक्षित लेनदारों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपनी संबंधित बैठकों से पूर्व ही वोट डाल दिया है वे बैठकों में वीसी/ओएवीएम के जरिए शामिल हो सकेंगे परंतु वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग के जरिए पुन: अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो नोटिस प्रेषित होने के बाद पर ई-वोटिंग के लिए तय कट-ऑफ दिनांक सोमवार 18 सितंबर, 2023 को या इससे पहले कंपनी का इक्विटी शेयरधारक/सदस्य बना है या जिसने अपने ई-मेल पते नोटिस प्रेषित होने के बाद पंजिकृत कराये हैं वह बैठकों के नोटिस में दी गई प्रक्रिया के अनुसार यूजर आईडी व पासवर्ड हासिल कर सकता है।

हस्तांतरिती कंपनी के खातों में 2,50,000 रुपये (दो लाख पच्चास हजार रुपये) या इससे अधिक के उधार वाले असुरक्षित लेनदारों समेत अन्य असुरक्षित लेनदार जिन्हे बैठक का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है वे नोटिस में दिये गये निर्देशानुसार असुरक्षित लेनदारों की बैठक में शामिल होने व वोट करने के पात्र होंगे।

चूंकि उक्त बैठके वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित होंगी ऐसे में इन बैठकों के लिए प्रोक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयर धारकों व लेनदारों, आदि से निवेदन है कि वे वीसी/ओएवीएम के जरिए बैठक में भाग लें एवं ऐसे संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारक व लेनदार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए बैठक में भाग लेने एवं बैठक के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकेंगे।

माननीय एनसीएलटी ने क्रमश: श्री रघु नैयर, वकील एवं श्री संदीप तनेजा, वकील को उक्त बैठकों, किसी भी प्रकार के स्थगन समेत, के लिए चेयरपर्सन एवं वैकल्पिक चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। समामेलन की योजना को यदि इक्विटी शेयरधारकों व असुरक्षित लेनदारों द्वारा अपनी संबंधित बैठकों में मंजूरी दे दी जाती है तो भी इस योजना के लिए माननीय एनसीएलटी, जयपुर बेंच समेत किसी भी अन्य नियामकीय व वैधानिक प्राधीकरण की मंजूरी, आज्ञा व संस्वीकृति की आवश्यकता होगी।

माननीय एनसीएलटी ने उक्त बैठकों, किसी भी प्रकार के स्थघन समेत, के लिए श्री कर्तव्य शुक्ला, प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैठकों से पूर्व इलेक्ट्रोनिक रूप से डाले गये वोट एवं बैठकों के दौरान डाले गये वोट को उचित पारदर्शी तरीके से स्क्रूटीनाइज करने हेतु स्क्रूटीनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त बैठकों के वोटिंग परिणाम संबंधित बैठकों के चेयरपर्सन द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा बैठकें समाप्त होने के 2 कार्यदिवसों में स्क्रूटीनाइजर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद घोषित किये जायेंगे। स्क्रूटीनाइजर की रिपोर्ट के साथ ही यह परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bikaji.com एंव सीडीएसएल, इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरिक्षत लेनदारों को वोटिंग सुविधा मुहैया कराने हेतु कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी, की वेबसाइट www.evotingindia.com, कंपनी के पंजिकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे। इनकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेज बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रेषित की जायेगी।

इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, इक्विटी शेयरधारक आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) देख सकते हैं व सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल की मदद ले सकते हैं जो सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है।

इक्विटी शेयरधारकों व असुरक्षित लेनदारों, जिन्हे बैठक से पूर्व या बैठक के दौरान तकनीक के स्तेमाल के संबंध में या इलेक्ट्रोनिक रूप से वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा जानकारी के लिए, वे :

(अ) निर्धारित ई-मेल पते helpdesk.evoting@cdslindia.com पर आवेदन दे सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं; या

(ख) श्री राकेश दल्वी सीनियर मैनेजर (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से ए विंग, 25 वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफत लाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई-400013 पर संपर्क कर सकते हैं; एवं

(ग) इक्विटी शेयरधारक कंपनी के प्रमुख-लीगल एवं कंपनी सचिव, श्री राहुल जोशी को भी ई-मेल पते cs@bikaji.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों से निवेदन है कि वे अपनी संबंधित बैठकों व प्रमुख रूप से बैठक में भाग लेने एवं रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने अथवा बैठक के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करने से संबंधित दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड वास्ते

राहुल जोशी
प्रमुख-लीगल एवं कंपनी सचिव
मेंबरशिप नं. : ACS33135

दिनांक : 22 अगस्त, 2023
स्थान : बीकानेर